



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श10)
(सं0 पटना 1124) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 18/2019-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 364, दिनांक 30 सितम्बर 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 02/2019-राज्य-कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 340, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	2202 10 10	वातित जल".
-----	------------	------------

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

[सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-18]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 364, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-18]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2019

Notification No. 18/2019- State Tax (Rate)

S.O. 364 dated the 30th September 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 02/2019-State Tax (Rate), dated the 07th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 340, dated the 07th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Annexure, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"2A.	2202 10 10	Aerated Water".
------	------------	-----------------

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)-18)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1124-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>